उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम में कार्यरत पूर्व सैनिकों एवं अन्य असैन्य कर्मियों के बच्चों हेतु लखनउ में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिये निःशुल्क कोचिंग सुविधा

अवगत कराना है कि पूर्व सैन्य एवं असैन्य निगम सेवारत कर्मियों के दो बच्चों के लिये वर्तमान शिक्षा सत्र 2023–24 के लिये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को कोचिंग देने के लिये लखनउ के Reputed कोचिंग सेंटर (Wisdom 360, Sharda Nagar, Lucknow) से Agreement किया गया है । इसके अतिरिक्त कोचिंग सेंटर द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (NDA, CDS, CUET etc) हेतु भी जरूरत के अनुसार कोचिंग करायी जाती है ।

उपरोक्त कोचिंग निगम में सेवा कर रहे असैन्य एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये पूर्णतया निःशुल्क है । कोचिंग सेंटर द्वारा दी गयी 25% रियायत के साथ, निगम द्वारा नामाकिंत **(Nominated)** बच्चों की कोचिंग फीस का पूरा भुगतान उपरोक्त कोचिंग सेंटर को निगम प्रशासन द्वारा कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत किया जाएगा । इसके अतिरिक्त सैन्य एवं असैन्य निगम सेवारत कर्मियों के बच्चों को उनके घर से कोचिंग सेंटर तक आने जाने के खर्च **(Conveyance charges)** के भुगतान की प्रतिपूर्ति **(Reimbursement)** भी निगम प्रशासन द्वारा बच्चों के माता/पिता को किया जायेगा ।

निगम में सेवारत कर्मचारियों/स्टाफ जिनके बच्चे वर्तमान शिक्षा सत्र में कक्षा 9 से कक्षा 12 में लखनउ में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिये, बच्चों की शिक्षा में सुधार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु निगम द्वारा लखनउ में निःशुल्क प्रदान की जाने वाली इस सुविधा/ अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिये ।

उपरोक्त कोचिंग सुविधा का उपयोग करने हेतु इस सूचना पत्र के साथ संलग्न फार्म को भरकर सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर **(Countersignature)** करवाकर उनकी संस्तुति **(Recommendation)** के साथ निगम मुख्यालय (अधिष्ठान अनुभाग) में जमा कर दें । निगम मुख्यालय द्वारा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोचिंग सेंटर को सूचित किया जाएगा तथा बच्चे के माता/पिता को बच्चे को कोचिंग सेंटर में कोचिंग हेतु भेजने हेतु निर्देश दिया जाएगा । उपरोक्त कोचिंग एवं फार्म से संबंधित कोई भी जानकारी **(Querry)** हेतु निगम मुख्यालय अधिष्ठान अनुभाग में कार्यरत सुबे0 मेजर सीके अवस्थी से उनके मोबाइल नं0 7860030496 पर संपर्क कर सकते हैं ।

उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों एवं असैनिकों के बच्चों (including Field employees) के लिये कक्षा 9 से 12 तक नि:शुल्क कोचिंग कक्षाओं के लिये आवेदन पत्र

1. आवेदन कर्ता का व्यक्तिगत विवरण

(क) रैंक, नाम एवं पद :————————————————

(ख) वर्तमान पता : ————————————————

(ग) संस्था का नाम जहां वर्तमान में कार्यरत हैं : ————————————

2. कोचिंग सेंटर का नाम व पता : Wisdom 360, पता शारदा नगर, लखनउ ।

सम्पर्क मोबाइल नं0 : 7007279710

3. क्या आप अपने बच्चे को उपरोक्त कोचिंग सेंटर में, कक्षा 09 से 12 तक की कोचिंग में भेजना चाहेंगे यदि हॉ, तो निम्नांकित विवरण दें :–

(क) बच्चे का नाम, कक्षा व जन्मतिथि :————————————

(ख) वर्तमान विद्यालय का नाम : ————————————

(ग) बोर्ड CBSE ☐ ICSE ☐ UP ☐

(घ) पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत : कक्षा : ——— प्रतिशत ————

4. कोचिंग के लिये इच्छुक बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिये नियम व शर्तें :

(क) कोचिंग का समय शाम 1630 बजे से 1930 बजे तक होगा । साप्ताहिक अवकाश/अन्य अवकाश कोचिंग सेंटर द्वारा निर्धारित दिवस/ तारीख को होगें ।

(ख) बच्चों को घर से कोचिंग सेंटर तक कोचिंग के लिये निर्धारित समय पर पहुंचाने एवं कोचिंग समाप्ति के बाद वापस ले जाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी । रास्ते में किसी तरह की अब्यवस्था एवं असुरक्षा के लिये निगम प्रशासन या कोचिंग सेंटर उत्तरदायी नहीं होगा ।

(ग) बच्चों की कोचिंग फी का भुगतान कोचिंग सेंटर को निगम प्रशासन द्वारा किया जाएगा । बच्चों के माता पिता या अभिभावकों को कोचिंग सेंटर में कोई भुगतान नहीं करना है ।

(घ) कोचिंग सेंटर द्वारा कोचिंग के संबंध में निर्धारित नियम एवं अनुशासन सभी बच्चों एवं माता पिता को मान्य होंगी तथा उनका पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा ।

(च) यदि किसी कारणवश किसी दिन कोई बच्चा कोचिंग के लिये कोचिंग सेंटर में जाने में असमर्थ है तो उसकी सूचना माता पिता द्वारा कोचिंग सेंटर में कोचिंग शुरू होने से पूर्व दी जाएगी ।

(छ) कोचिंग सेंटर में तीन दिन से अधिक अवकाश/अनुपस्थिति के लिये माता पिता द्वारा कोचिंग सेंटर में अनुपस्थिति की वजह सहित लिखित में अनुपस्थिति से पूर्व आवेदन पत्र देना होगा ।

(ज) यदि किसी अपरिहार्य कारण वश किसी बच्चे को शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व ही कोचिंग सेंटर छोड़ना आवश्यक हो जाये तो माता पिता द्वारा इसकी पूर्व सूचना निगम मुख्यालय में तथा कोचिंग सेंटर में देना अनिवार्य होगा ।

5. मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे उपरोक्त पैरा 4 (क) से (ज) तक दी गयी शर्तें व नियम पूर्णतया मान्य हैं तथा मैं एवं मेरे बच्चे उनका पूरी तरह से अनुपालन करेंगें ।

स्थान : निगम मुख्यालय

दिनांक :

बच्चे के पिता का हस्ताक्षर : ——————

पिता का नाम ——————

Mob No

COUNTERSIGNED & RECOMMENDED BY

AGM (Ops), RO LUCKNOW